

टू क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड



ब्याज दर पॉलिसी

दस्तावेज संख्या: TC-IRP

(इस पॉलिसी की समीक्षा की गई और 28 मार्च, 2025 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।)

दस्तावेज़ का विवरण

विशेष	विवरण
शीर्षक	ब्याज दर पॉलिसी
संस्करण	V0.7
वर्गीकरण	जनता
विवरण	ब्याज दरें, प्रसंस्करण और अन्य शुल्क निर्धारित करने की पॉलिसी
पुनरीक्षण दिनांक	28 मार्च, 2025
अभिरक्षक	कानूनी, अनुपालन और नियामक मामले विभाग
द्वारा अनुमोदित / समीक्षित	बोर्ड
मालिक	कानूनी, अनुपालन और नियामक मामले विभाग

अनुक्रमणिका

अनु क्रमणिका	विशेष	पृष्ठ क्र.
1.	परिचय	4
2	उद्देश्य	4
3.	निदेशक मंडल की भूमिका	4
4.	ऋण और ऋण सुविधा पर ब्याज दरों का निर्धारण	4
5.	प्रोसेसिंग शुल्क / प्रतिबद्धता शुल्क / अन्य शुल्क	5
6.	ग्राहक के लिए संचार	5
7.	शुल्कों में छूट / कमी	5
8.	इस पॉलिसी में संशोधन	6

1. परिचय

- a. भारतीय रिजर्व बैंक ("RBI") ने अपने मास्टर दिशानिर्देश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 के माध्यम से सभी गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली NBFC को सलाह दी है। ब्याज दरों, प्रसंस्करण शुल्क और अन्य शुल्कों के निर्धारण में उचित आंतरिक सिद्धांत और प्रक्रियाएँ निर्धारित करें। RBI ने पॉलिसी को NBFC की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने और जब भी कोई बदलाव हो तो अपडेट करने का भी निर्देश दिया।
- b. टू क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड ("कंपनी") के निदेशक मंडल ने 25 अक्टूबर, 2019 को हुई अपनी बैठक में कंपनी पर पहले से लागू RBI निर्देशों के अनुसार ब्याज दर पॉलिसी ("पॉलिसी") को अपनाया था। अब इसे आंतरिक पॉलिसियों आदि में बदलावों को प्रतिबिंबित करने के लिए संशोधित किया गया है।
- c. इस पॉलिसी को हमेशा मौजूदा RBI दिशानिर्देशों, निर्देशों, परिपत्रों और निर्देशों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

2. उद्देश्य

इस पॉलिसी के मुख्य उद्देश्य हैं:

- a. सुनिश्चित करें कि ब्याज दरें इस प्रकार निर्धारित की जाएं कि सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।
- b. ब्याज दर की गणना के लिए एक उपयुक्त मॉडल विकसित करें और अपनाएं;
- c. ब्याज दरों के निर्धारण को सक्षम करें जो उचित हों: वास्तविक और अनुमानित दोनों;
- d. सुनिश्चित करें कि ब्याज की गणना नियामक दिशानिर्देशों और बाजार प्रथाओं के अनुरूप सटीक, निष्पक्ष और पारदर्शी है;
- e. जोखिम कारकों से जुड़ी ब्याज की अलग-अलग दरें लागू करें;
- f. ग्राहकों से ली जाने वाली अंतिम दरों पर पहुंचने के लिए चार्जिंग स्प्रेड के सिद्धांतों, कार्यप्रणाली और दृष्टिकोण पर निर्णय लें।

3. निदेशक मंडल की भूमिका

निदेशक मंडल कंपनी की ब्याज दर पॉलिसी की निगरानी करेगा। ब्याज दर पॉलिसी के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड पॉलिसी के कार्यान्वयन और इसके परिचालन पहलुओं को प्रबंध निदेशक और/या परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति ("ALCO") और/या किसी अन्य समिति को सौंप सकता है, जैसा कि वह उचित समझे। बोर्ड, यदि वह उचित समझे, तो प्रबंध निदेशक और/या ALCO और/या किसी अन्य समिति को बोर्ड के समक्ष ब्याज दर(दरों) को समीक्षा के लिए प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है।

प्रबंध निदेशक और/या ALCO प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए संबंधित आकस्मिक मामलों के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय/ऋण उत्पादों की समीक्षा करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उनमें उचित परिवर्तन करेंगे।

4. ऋण और ऋण सुविधा पर ब्याज दरों का निर्धारण

कंपनी अपने ग्राहकों को मुख्य रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पैसा ऋण देती है और विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास विभिन्न उत्पाद हैं।

प्रत्येक उत्पाद की ब्याज दर निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर तय की जाती है:

- a. **पूंजी की लागत:** व्यवसाय चलाने के लिए कंपनी में इक्विटी शेयर पूंजी डाली गई है और तदनुसार डाली जा रही ऐसी इक्विटी शेयर पूंजी की लागत को ध्यान में रखा जाएगा।
- b. **ऋण लेने की ओयेटेड एवरेज लागत:** चूंकि कंपनी विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य बाहरी ऋणदाताओं से धन ऋण लेती है, इसलिए ओयेटेड एवरेज ऋण लागत, साथ ही ब्रोकरेज, परामर्श शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क जैसी उन उधारों से जुड़ी लागतें होंगी। विचार में लिया। ऋण की लागत बाजार स्थितियों के अनुसार भिन्न होती है, इस प्रकार ब्याज दरों का मूल्य निर्धारण प्रभावित होगा और तदनुसार तय किया जाएगा।

- c. **जोखिम:** ऋण की छोटी अवधि, सुविधा की प्रकृति, ऋण का टिकट आकार, भौगोलिक स्थिति, ग्राहक खंड, सोर्सिंग चैनल, आय और रोजगार में स्थिरता, वित्तीय स्थिति, हमारे या अन्य उधारदाताओं के साथ पिछले पुनर्भुगतान ट्रैक रिकॉर्ड, ग्राहकों की बाहरी रेटिंग, क्रेडिट रिपोर्ट, ग्राहक संबंध, अन्य मौजूदा ऋणग्रस्तता, डिजिटल सत्यापन से परिणाम आदि के कारण ऋण की हानि से संबंधित जोखिम। इसलिए, ऋण की वसूली के जोखिम को ध्यान में रखा जाएगा और तदनुसार जोखिम प्रीमियम की गणना की जाएगी।
 - d. **ओपेक्स लागत:** इसमें कर्मचारी खर्च, कार्यालय और बुनियादी ढांचे से संबंधित निश्चित और परिवर्तनीय लागत, संचालन लागत, बिक्री और विपणन व्यय आदि शामिल हैं।
 - e. **लाभ मार्जिन:** उधार दर पर पहुंचने के लिए उचित लाभ मार्जिन जोड़ा जाता है। कंपनी अपने विवेक से डिफॉल्ट के जोखिम को देखते हुए अलग-अलग ग्राहकों के लिए अलग-अलग मार्जिन तय कर सकती है। हालांकि, सभी ग्राहकों को कंपनी से लिए जाने वाले ऋण के लिए देय ब्याज के बारे में सूचित किया जाएगा।
5. **प्रोसेसिंग फीस/दंड शुल्क/अन्य शुल्क**
- a. ब्याज के अलावा, अन्य वित्तीय शुल्क जैसे प्रसंस्करण शुल्क, समान मासिक किस्त (EMI) बाउंसिंग शुल्क, ऋण या EMI के देर से भुगतान पर दंड शुल्क, पुनर्निर्धारण शुल्क, पूर्व भुगतान / फौजदारी शुल्क, आंशिक संवितरण शुल्क, विवरण खाते जारी करने के लिए शुल्क आदि।, जहां भी आवश्यक समझा जाएगा, कंपनी द्वारा लगाया जाएगा। इन शुल्कों के अलावा, स्टॉप शुल्क, सेवा कर/GST और अन्य उपकरण समय-समय पर लागू दरों पर एकत्र किए जाएंगे। इन शुल्कों में कोई भी संशोधन ग्राहकों को उचित संचार के साथ संभावित आधार पर लागू किया जाएगा।
 - b. कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि दंडात्मक शुल्कों का कोई पूंजीकरण न हो, यानी ऐसे शुल्कों पर कोई अतिरिक्त ब्याज की गणना न हो। कंपनी ब्याज दर में कोई अतिरिक्त घटक शामिल नहीं करेगी और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
 - c. कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि दंडात्मक शुल्क की मात्रा उचित है और किसी विशेष ऋण/उत्पाद श्रेणी के भीतर भेदभाव किए बिना ऋण अनुबंध के भौतिक नियमों और शर्तों के गैर-अनुपालन के अनुरूप है।
 - d. कंपनी ऋण समझौते और/मुख्य तथ्य विवरण (KFS) में, जैसा लागू हो, ग्राहकों पर दंडात्मक शुल्क की मात्रा और कारण प्रदर्शित करेगी।
 - e. लागू दंडात्मक शुल्क, जैसा कि समय-समय पर अद्यतन किया जाता है, कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
 - f. कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि जब भी ऋण शर्तों का अनुपालन न करने के लिए उधारकर्ताओं को अनुस्मारक भेजे जाएं, तो लागू दंडात्मक शुल्क के बारे में उधारकर्ताओं को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाए।
 - g. दंडात्मक शुल्क लगाने का कोई भी उदाहरण और उसका कारण भी उधारकर्ताओं को उचित रूप से सूचित किया जाएगा।
 - h. प्रबंध निदेशक इस संबंध में ALCO द्वारा की गई अनुशंसा पर विचार करने के बाद इन शुल्कों का निर्धारण करेंगे।
6. **ग्राहक के लिए संचार**
- a. कंपनी ऋण की स्वीकृति/लाभ उठाते समय ग्राहकों को संचार के स्वीकार्य माध्यम से ब्याज की प्रभावी दर के बारे में सूचित करेगी। ब्याज दर पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और उसमें कोई भी बदलाव कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
 - b. मौजूदा ग्राहकों के लिए दरों और प्रभावी दरों में परिवर्तन, यदि कोई हो, उन्हें संचार के विभिन्न माध्यमों जैसे वेबसाइट, डिजिटल प्लेटफॉर्म और/या ईमेल, पत्र, SMS आदि के माध्यम से सूचित किया जाएगा। हालांकि, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे ऋणों के लिए ऋण की अवधि के दौरान कोई बदलाव न हो, जो पहले से ही ग्राहकों के साथ अनुबंध किए गए थे
7. **शुल्कों में छूट/कमी**
- a. कंपनी के प्रबंध निदेशक या व्यवसाय प्रमुख को अपने विवेक से, जैसा उचित लगे, मूल राशि / ब्याज दरों, प्रसंस्करण और अन्य शुल्कों सहित किसी भी राशि को माफ करने / कम करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। इसके अलावा, उपरोक्त अधिकारी इस अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में सौंप सकते हैं।

8. **इस पॉलिसी में संशोधन**

- a. प्रबंध निदेशक को देश में मुद्रा बाजार परिदृश्य में बदलावों को ध्यान में रखते हुए ALCO की सिफारिशों पर इस पॉलिसी में उचित बदलाव करने के लिए अधिकृत किया गया है, जिसमें विभिन्न ऋण उत्पादों और संबंधित शुल्कों पर लागू ब्याज दरों में ऊपर/नीचे संशोधन शामिल है। ऐसे ऋण उत्पादों के लिए लागू। प्रबंध निदेशक अपनी अगली बैठक में बोर्ड द्वारा अनुसमर्थन के लिए ऐसे परिवर्तनों की रिपोर्ट बोर्ड को देंगे।